जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

कृषि कनेक्शनों में वीसीआर के विवादित मामलों की सुनवाई के लिए आवेदन की समय सीमा बढाई

विवाद के निस्तारण के लिए 60 दिवस में किया जा सकता है आवेदन

जयपुर, 06 अप्रेल। कृषि कनेक्शनों में बिजली चोरी के मामलों में वीसीआर के विवादित मामलों की सुनवाई के लिए आवेदन करने की निर्धारित समय सीमा को 30 दिन से बढाकर 60 दिन कर दिया है। इसके साथ ही कृषि में बिजली चोरी के सभी मामलों में सुनवाई के लिए आवेदन करने के दिनों की गणना नोटिस जारी होने की तिथि से की जाएगी।

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि विधान सभा सत्र के दौरान विधायकों द्वारा कृषि कनेक्शनों में बिजली चोरी के मामलों में सुनवाई के लिए अवधि बढाने की मांग एवं वीसीआर के बारे में उपभोक्ता की शिकायतों के समाधान को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि कृषि में बिजली चोरी से सम्बन्धित सभी मामलों की सुनवाई जिला स्तर पर बिना किसी वित्तीय सीमा की बाध्यता के वृत स्तरीय समिति द्वारा ही की जाएगी। इसके साथ ही वृत स्तरीय समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए 50 प्रतिशत सिविल लाइबिलिटी की राशि को कृषि कनेक्शनों के मामलों में घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। कृषि के अलावा अन्य बिजली चोरी के मामलों में सिविल लाइबिलिटी की 50 प्रतिशत राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि सम्बन्धित कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदनों की सूचना तत्काल सम्बन्धित पुलिस थाने को भेजी जाएगी तथा कमेटी को यह भी अधिकार होगा कि विवाद के निस्तारण हेतु आवश्यक समझा जाए तो सक्षम अधिकारी को विवादित स्थल पर भेजकर रिपोर्ट मंगवाकर प्रकरण पर निर्णय करे। कमेटी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उपभोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर दे एवं प्राप्त आवेदनों का 15 दिन में निस्तारण करना सुनिश्चित करे। वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी की बैठक के लिए समिति के अध्यक्ष सहित 50 प्रशित से अधिक सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की गई है कि कृषि कनेक्शन में बिजली चोरी के मामलों में भरी गई वीसीआर के विवादित प्रकरणों की सुनवाई अब केवल जिला स्तर पर वृत स्तरीय वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी द्वारा ही की जाएगी चाहे सिविल लाइबिलिटी राशि अलग–अलग ही क्यों न हो। पूर्व में सिविल लाइबिलिटी की राशि के अनुसार गठित त्रि–स्तरीय वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी द्वारा इस तरह के मामलों की सुनवाई की जाती थी।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 369/2016